गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(नैक से A ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 27.07.2020
समय : प्रातः11:00 बजे
स्थान : श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, कटवरीया सराय, इन्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. प्रो0 रूप किशोर शास्त्री, कुलपति–अध्यक्ष
2. प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार, भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के नामित सदस्य
3. डॉ0 नैपाल सिंह, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
4. श्री नरिन्दर सिंह, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
5. श्री विनय आर्य, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित सदस्य
6. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
7. प्रो0 नवनीत, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
8. प्रो0 सन्तराम वैश्य, वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
9. प्रो0 निपुर सिंह, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
10. डॉ0 सुनील पंवार, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
11. प्रो0 दिनेश चन्द्र भटट्, कुलसचिव/संयोजक

ईश वन्दना के साथ बैठक प्रारम्भ हुयी ।

प्रस्ताव संख्या 01 **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BOM) में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में पूर्व में नामित सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके स्थान पर नये सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BOM) में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में पूर्व में नामित सदस्य डॉ0 राकेश कुमार शर्मा का संकायाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मान्य कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के MOA के बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर प्रो0 नवनीत, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय को वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध–मण्डल में दिनांक 15.03.2020 से 14.03.2023 तक (तीन वर्ष) अथवा सम्बन्धित संकायाध्यक्ष के कार्यकाल तक (जो भी पहले हो) सदस्य नामित किया गया है ।

उक्त प्रस्ताव पर मान्य कुलपति जी द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि प्रो0 नवनीत द्वारा विश्वविद्यालय में कई प्रकार के आयुर्वैदिक श्रद्धा पेय, सामग्री, जैम तथा काढ़ा आदि का स्वयं निर्माण किया गया है तथा वर्तमान में इनके द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर सेनिटाईजर बनाये जाने का भी कार्य किया जा रहा है ।

सदन के समस्त सदस्यों द्वारा प्रो0 नवनीत को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में सदस्य नामित किये जाने स्वागत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 02 **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 14.12.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 14.12.2019 की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 03 **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 14.12.2019 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन ।**

उक्त प्रस्ताव के कुछ बिन्दुओं पर निम्न प्रकार से निर्णय लिये गये है:–

02 (iii) इस बिन्दु पर प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सातवें वेतन आयोग द्वारा जो भी भत्ते लागू किये गये हैं, वह दिनांक 01.07. 2017 से लागू किये गये है। अतः विश्वविद्यालय में जिन भी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य दिया गया है उनको मूलवेतन का 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य भत्ता दिनांक 01.01.2020 के स्थान पर दिनांक 01.07.2017 से लागू करना चाहिए तथा उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा जो भी अधिक अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया गया है, उसकी कटौती भी होनी चाहिए। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि विश्वविद्यालय में जो भी भत्ते लागू होने चाहिए वह भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत ही देय होने चाहिए। अतः उपर्युक्त के आलोक में जो भी कटौती होती है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही कर लेनी चाहिए।

अतः उपर्युक्तानुसार कटौती किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित हुआ ।

(iv) उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में गठित समिति के अध्यक्ष प्रो0 एस0के0 श्रीवास्ताव द्वारा पूर्ण विवरण सदन में रखा गया। मान्य कुलपति जी ने कहा कि व्यवस्था को सही करने हेतु एक समिति का गठन किया है। डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी आवास का आवंटन आवास समिति के माध्यम से किया जाना चाहिए।

श्री विनय आर्य एवं प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि जिन शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के हरिद्वार में निजी आवास हैं तथा उनके निजी आवासों में बिजली+पानी के कनेक्शन हैं और अभी भी वे विश्वविद्यालय के आवासों में रह रहे हैं और आवास को खाली नही करता है, तो उस पर कॉमर्शियल दरें लागू की जाये।

उपर्युक्त के आलोक में निर्णय लिया गया कि गठित समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत करें एवं जिन शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आवास हैं तथा उन्हें विश्वविद्यालय के आवास आवंटित है किन्तु वे आवंटित आवास खाली नहीं करते हैं तो उनसे कामर्शियल दरों के अनुसार आवास किराया लिया जाये।

(vi) इस प्रस्ताव पर मान्य कुलपति जी ने कहा कि विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन सम्बन्धित कार्य सोसाईटी कार्यालय में पूर्ण हो चुका है तथा नाम परिवर्तन सम्बन्धित पत्र विश्वविद्यालय को दिनांक 24.07.2020 को प्राप्त हो चुका है ।

अतः यू0जी0सी0 रेगूलेशन 2019 के अनुसार विश्वविद्यालय के संशोधित MoA को स्पोन्सरिंग सोसाईटी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(vii) इस प्रस्ताव पर डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि MyGate की साईट के माध्यम से विश्वविद्यालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें धन की आवश्यकता नहीं है। कुलसचिव ने कहा कि कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून की जिम्मेदारी समन्वयक प्रो0 निपुर सिंह को तथा विश्वविद्यालय के अन्य परिसरों हेतु प्रो0 विवेक कुमार को उत्तरदायित्व दिया जा सकता है तथा सदन का विचार था कि उक्त व्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण कुलपति कार्यालय में होना चाहिए ।

अतः उपर्युक्तानुसार क्रियान्वयन हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।

03 (iv) इस प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी एवं संयुक्त कुलसचिव के द्वारा TA के सम्बन्ध में पांचवे, छठे तथा सातवें वेतन आयोग के सम्बन्ध में सरकार से प्राप्त पत्रों का अध्ययन कर निर्णय लिया जाये तथा यू.जी.सी. को इस संबंध में पुनः स्मरण–पत्र भेजा जाय। श्री विनय आर्य ने सदन में कहा कि प्रबन्ध मण्डल की होने वाली बैठकों का एजेन्डा बैठक की तिथि से 10–12 दिन पूर्व ही समस्त सदस्यों को प्रेषित किया जाना आवश्यक है । जिससे कि समस्त सदस्य एजेन्डा का समय से अध्ययन कर अपने–अपने मन्तव्यों से सदन को अवगत करा सकें ।

08 श्री नरिन्दर सिंह ने कहा कि यदि विभाग द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्रेषित नही किया गया है तो इस प्रस्ताव को निरस्त माना जाना चाहिए । अतः सर्वसम्मति से प्रस्ताव निरस्त किया गया ।

12 एवं 13 इस प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि यदि भूमि अदला–बदली विषयक तीन पत्रों के पश्चात् भी सम्बन्धित अनुभाग द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है तो सम्बन्धित अनुभाग को पुनः पत्र जारी कर देना चाहिए तथा एक निर्धारित समय देकर कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाये ।

अन्य पूरक प्रस्ताव–01 इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि समिति की रिपोर्ट में उपलब्ध पाण्डूलिपियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नही किया गया है। अतः सर्वप्रथम उपलब्ध पाण्डूलिपियों का भौतिक सत्यापन एक माह में होना चाहिए। श्री विनय आर्य ने आर्कियोलॉजीकल म्यूजियम के specimens की संख्या की सप्रमाण जानकारी उपलब्ध करने को कहा। डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि पाण्डूलिपियों का सत्यापन स्टॉक रजिस्टर से भी होना चाहिए कि स्टॉक रजिस्टर में कितनी पाण्डूलिपियां अंकित है तथा वर्तमान में पुस्तकालय में पाण्डूलिपियों के स्कैन का कार्य Digital India Noida से करा सकते हैं। डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि भविष्य में केन्द्रीय पुस्तकालय में सभी पुस्तकों पर बार कोडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि पुस्तकों की चोरी होने की घटना न हो सके।

अतः सदन में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किया जाना स्वीकृत किया गया ।

अन्य पूरक प्रस्ताव–02 (01 एवं 02 बिन्दुओं पर) :–

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री नरिन्दर सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि एवं अन्य मुकदमों की वर्तमान स्थिति की जांच हेतु गठित समिति की बैठकों में प्रभारी विधि प्रकोष्ठ श्री नलनीश विग द्वारा सहयोग नही किया गया तथा दिये गये कार्य को भी सही ढग से नही किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री नरिन्दर सिंह द्वारा विग के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट तैयार की गयी है उसे भी सदन में रखा गया। इस सम्बन्ध में डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि यदि श्री नलनीश विग की कार्य प्रणाली सही नही है तो सर्विस रुल्स के अनुसार कार्यवाही करते हुए उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय की 144 बीघा भूमि का न्यायालय में 16 वर्ष पूर्व वाद दायर किया गया था तथा अभी तक वाद की स्थिति 16 वर्ष पूर्व की ही है। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि श्री नलनीश विग के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न निर्णय लिये जाने चाहिए :–

1. श्री नलनीश विग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया ।
2. श्री नलनीश विग का कार्यभार विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक/कर्मचारी को तुरन्त सौंप दिया जाना चाहिए।
3. श्री नलनीश विग के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया जाय और समिति की रिपोर्ट के आधार पर सेवा समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए ।

अतः सदन में उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना स्वीकार किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 04 **विश्वविद्यालय में दिनांक 22.02.2020 को हुई प्लानिंग एवं मॉनटिरिंग बोर्ड की बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

विश्वविद्यालय के प्लानिंग एवं मॉनटिरिंग बोर्ड के गठन के सम्बन्ध मे श्री विनय आर्य ने कहा कि प्लानिंग एवं मॉनटिरिंग बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाता है। कुलसचिव ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के MoA के अनुसार विश्वविद्यालय में प्लानिंग एवं मॉनटिरिंग बोर्ड का गठन विश्वविद्यालय के मान्य कुलपति जी द्वारा

किया जाता है। इस सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय के प्लानिंग एवं मॉनटिरिंग बोर्ड के गठन हेतु भविष्य में मान्य कुलाधिपति से सम्पर्क एवं विचार विमर्श कर प्लानिंग एवं मॉनटिरिंग बोर्ड का गठन किया जाना श्रेष्यकर होगा। इसी प्रस्ताव के संलग्नक के बिन्दु 05 के सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में बी0एस0सी0 एवं बी0ए0 खोलने पर क्या अतिरिक्त शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों की आवश्यकता नही होगी। इस सम्बन्ध में प्रो0 नवनीत ने कहा कि वर्तमान में कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में एम0एस0सी0 एवं एम0ए0 की कक्षाऐं चल रही है। अतः अतिरिक्त शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकता नही होगी। मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि यू.जी.सी. द्वारा EWS एवं जनवरी 2020 में यू.जी.सी. विजिटिंग टीम द्वारा संस्तुत किये गये पदों को विश्वविद्यालय को आवंटन/स्वीकृत किया जाना है। इस संबंध में एक प्रस्ताव भी यू.जी.सी. को प्रेषित किया गया है। इसी बिन्दु के संलग्नक के बिन्दु 02 पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि यदि भविष्य में विश्वविद्यालय में धन उपलब्ध होता है तो विश्वविद्यालय में सीवर एवं ट्रिटमेन्ट प्लांट पर कार्य होना चाहिए।

प्रस्ताव संख्या 05 **विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत पदोन्नति के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति की बैठक दिनांक 04.01.2020 की सम्पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत शिक्षकेत्तर वर्ग के पदोन्नति हेतु रिक्त अनुभाग अधिकारी–02, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेन्ट–02, उच्च श्रेणी लिपिक–02 एवं लैब असिस्टेन्ट–02 के पदों पर विभागीय पदोन्नति हेतु दिनांक 04.01.2020 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विश्वविद्यालय रिक्रूटमेन्ट रुल्स 2012 में दी गयी शर्तों के अनुसार वरिष्ठता सहित उपयुक्तता एवं पांच वर्षों की ए0सी0आर0 का अवलोकन के उपरान्त विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्न कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गयी है :–

.सं.	कर्मचारी का नाम	पूर्व पदनाम	पदोन्नति के उपरान्त् पदनाम	देय वेतन लेवल	कार्यभार ग्रहण तिथि
1.	श्री मदनगोपाल उपाध्याय	सहायक	अनुभाग अधिकारी	वेतन लेवल–07	08.01.2020
2.	श्री अरविन्द कुमार	सहायक	अनुभाग अधिकारी	वेतन लेवल–07	08.01.2020 (अपराह्न)
3.	श्री आनन्द बल्लभ जोशी	पुस्तकालय सहायक	सेमी प्रोफेशनल असिस्टेन्ट	वेतन लेवल–05	08.01.2020
4.	श्री नारायण सिंह	पुस्तकालय सहायक	सेमी प्रोफेशनल असिस्टेन्ट	वेतन लेवल–05	08.01.2020
5.	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह	लैब अटैन्डेन्ट	लैब असिस्टेन्ट	वेतन लेवल–04	08.01.2020
6.	श्री अरुण कुमार पुत्र स्व0 श्री ठकरा सिंह	लैब अटैन्डेन्ट	लैब असिस्टेन्ट	वेतन लेवल–04	08.01.2020
7.	श्री संजय शर्मा	अवर श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	वेतन लेवल–04	08.01.2020
8.	श्रीमती रीता सहरावत	अवर श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	वेतन लेवल–04	08.01.2020

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि भविष्य में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति नये रिक्रूटमेन्ट रुल्स के अनुसार प्रबन्ध मण्डल से स्वीकृत होने के उपरान्त ही की जाये ।

प्रस्तावानुसार उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति का अंकन स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 06 **विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर हुए साक्षात्कार के लिफाफों को खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रिक्त शिक्षकों के पदों हेतु साक्षात्कार के लिये दिनांक 28.07.2019 को 61 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन विज्ञापित किया गया था । उक्त विज्ञापन के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्क्रीनिंग किये जाने के उपरान्त दिनांक 03.02.2020 से 10.02.2020 तक तथा 15.03.2020 से 18.03.2020 तक चयन समिति के माध्यम से कराये गये साक्षात्कार में 22 शिक्षकों का चयन किया गया है । शेष 39 पदों पर साक्षात्कार की प्रकिया कोविड–19 महामारी की स्थिति सामान्य/नियत्रित होने पर पूर्ण करा ली जायेगी । अतः उक्त साक्षात्कारों से सम्बन्धित लिफाफों को खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

सम्बन्धित साक्षात्कारों के सीलबन्द लिफाफे सदन में खोले गये । सम्बन्धित नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इन नियुक्त शिक्षकों के वेतन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को वेतन मद में अतिरिक्त बजट के प्रावधान हेतु लिखा जाय। जब यू.जी.सी. द्वारा अतिरिक्त वेतन हेतु स्वीकृति प्राप्त हो जाय तदनुपरान्त ही नियुक्ति पत्र जारी किये जाय।

इसी प्रस्ताव के अन्तर्गत जीव विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो0 नवनीत ने सदन को अवगत कराया कि वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में प्रोफेसर एस0सी0 पद पर इसी विभाग में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉ0 हरीश चन्द्र की नियुक्ति हुई है जोकि इस वर्ग में एक मात्र अभ्यर्थी थे तथा चयन समिति द्वारा इन्हीं का चयन उक्त पद पर किया गया है। चूंकि प्रोफेसर पद हेतु 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्य अनुभव आवश्यक है तथा इनके द्वारा इस विश्वविद्यालय में अपनी पूर्व संस्था हेमवती नन्दन बहुगुणा, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गढ़वाल–श्रीनगर की सेवाओं को जोड़ा गया है जोकि 10 वर्ष पूर्ण नही होती हैं। अतः प्रस्ताव संख्या 11 में पूर्व सेवाओं के सम्बन्ध में गठित उपसमिति की संस्तुति प्राप्त होने तक डॉ0 हरीश चन्द्र की नियुक्ति प्रकिया को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है ।

उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 07 **विश्वविद्यालय में यू0जी0सी0 द्वारा प्रेषित पत्र एवं ऑडिट टीम द्वारा सफाई एवं माली के कार्य को प्राईवेट एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 06.09.2002 को प्रेषित पत्र संख्या 1-57/2001(CPP-II) में स्पष्ट अंकन किया गया है कि माली, सफाई एवं सुरक्षा से सम्बन्धित सभी कार्य प्राईवेट एजेन्सी से कराया जाय। विश्वविद्यालय में गत वर्ष आई ऑडित टीम द्वारा माली के कार्य को भी प्राईवेट एजेन्सी से कराये जाने हेतु अंकन किया हैं तथा माह फरवरी–2020 में आई यू0जी0सी0 की 12B Expert Committee द्वारा भी अपनी संस्तुति में सुझाऐं गये बिन्दुओं में अंकन किया गया है कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवनों एवं परिसरों में सफाई व्यवस्था उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए । सरकार के समस्त मन्त्रालयों एवं विभागों में पहले स ही आवश्यक रूप से यह प्रक्रिया लागू हैं। उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्था का कार्य टेन्डर के माध्यम से प्राईवेट एजेन्सी से कराया जा रहा है तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय में सुरक्षा के कार्य के साथ–साथ सफाई तथा माली के कार्य को भी प्राईवेट एजेन्सी से कराये जाने हेतु टेन्डर की प्रक्रिया समिति के माध्यम से प्रारम्भ कर दी गयी है तथा इस हेतु शीघ्र ही अखबार में निविदा सूचना भी जारी कर दी जायेगी।

प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उठाये गये कदम की सराहना की गई। इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी ने कहा कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक 23.07.2020 को विश्वविद्यालय में सफाई कार्य एवं माली के कार्य हेतु निविदा विज्ञापित की जा चुकी है जिसकी निविदाऐं आमन्त्रित करने की अन्तिम तिथि 13 अगस्त,

2020 है। सदन के सभी सदस्यों द्वारा उक्त कार्य का पूर्ण समर्थन करते हुए यह भी कहा कि उक्त विषयक प्रक्रिया बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी तथा शीघ्र ही उक्त प्रकिया को पूर्ण किये जाने हेतु कहा गया ।

अतः उपर्युक्तानुसार विश्वविद्यालय में सफाई एवं माली के कार्य को टैण्डर प्रकिया के माध्यम से प्राईवेट एजेन्सी से कराया जाना स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 08

विश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु रिक्रूटमेन्ट रूल्स बनाये जाने/संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु सन् 2012 में रिक्रूटमेन्ट रूल्स बनाये गये थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या 69-4/2012 (CU) दिनांक 14.08.2015 के साथ संलग्न किये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में विश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु रिक्रूटमेन्ट रूल्स बनाने/संशोधन करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत शिक्षकेत्तर (गैर तकनीकी वर्ग) पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में दिनांक 06.05.2019 को प्रेषित पत्र संख्या मि0सं0 8–6/2008 (के0वि0वि0) के बिन्दु संख्या 04 में स्पष्ट उल्लेख है कि "शिक्षकेत्तर (गैर तकनीकी वर्ग) पदों पर नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये व अनुमोदित रिक्रूटमेन्ट रुल्स के अनुसार किया जाये"। उक्त के आलोक में प्रो0 वी0के0 सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु बनाये गये रिक्रूटमेन्ट रूल्स के सम्बन्ध में ड्राफ्ट दिनांक 13.07.2020 को विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रेषित कर दिया गया है। गठित समिति द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव पर श्री नरिन्दर सिंह ने कहा कि उक्त रिक्रूटमेन्ट रूल्स को 10–15 दिन हेतु विश्वविद्यालय की वैवसाईट पर आपत्ति दर्ज करने निमित्त अपलोड किया जाना चाहिए । प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि यदि रिक्रूटमेन्ट रूल्स को Open किया जाता है तो अधिक से अधिक सुझाव आयेगे जिससे की गम्भीर समस्याऐं भी उत्पन्न हो सकती हैं। प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने इन रिक्रूटमेन्ट रूल्स में कुछ बिन्दुओं के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया । डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि इन रिक्रूटमेन्ट रूल्स को किसी वाह्य विशेषज्ञ से Review करा लिये जाने चाहिए । इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एक उप समिति का गठन किया जाये जिसमें आई0आई0टी0 रुड़की या अन्य शैक्षणिक संस्था/विश्वविद्यालय से एक वाह्य विशेषज्ञ को सदस्य के रुप में नामित किया जाये। अतः निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :–

1. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव – अध्यक्ष
2. मान्य कुलपति जी द्वारा नामित – वाह्य सदस्य
3. श्री देवेन्द्र कुमार, संयुक्त कुलसचिव – संयोजक

उक्त समिति द्वारा रिक्रूटमेन्ट रूल्स के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव एवं संस्तुति को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा।

उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 09

विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय/विभागों में भविष्य में नियुक्ति किये जाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा–शर्तों एवं नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय/विभागों में भविष्य में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सेवा–शर्तों एवं नियमावली बनाये जाने के सन्दर्भ में श्री नवीन सोई, डायरेक्टर फाइनेन्स (सेवानिवृत्त), मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति द्वारा अपनी संस्तुति विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रेषित कर दी गयी है। प्रेषित की गयी संस्तुति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय/विभागों में भविष्य में नियुक्ति किये जाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुत नियमावली के अनुसार की जायेगी ।

इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सन्दर्भ में एक समिति का गठन किया जाये जो कि स्ववित्तपोषित योजना हेतु बनाये गये सेवा–शर्तों एवं नियमावली का निरीक्षण (Check) करेगी। तत्पश्चात् ही आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इन स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों हेतु सेवा–शर्तों एवं नियमावली को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय। समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया–

1. **प्रो. राजेन्द्र विद्यालंकार – अध्यक्ष**
2. **श्री विनय आर्य – सदस्य**
3. **श्री नरिन्दर सिंह – सदस्य**
4. **प्रो. एस.के. श्रीवास्तव – सदस्य**
5. **श्री देवेन्द्र कुमार, संयुक्त कुलसचिव – संयोजक**

अतः उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृति किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 10 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय) रेगूलेशन–2019 के अनुसार विश्वविद्यालय के वर्तमान MoA को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 17.06.2020 को प्रेषित ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालयों में पूर्व से लागू MoA को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय) रेगूलेशन–2019 के अनुसार संशोधित किया जाना है तथा संशाधित MoA को स्वीकृति हेतु शीघ्र ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जमा किये जाने हेतु कहा गया है।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय में लागू MoA को संशोधित किये जाने हेतु प्रो0 पी0सी0 जोशी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। चूंकि वर्तमान में विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्ट्रार, सोसाईटी कार्यालय में चल रही है, जो कि अभी पूर्ण नहीं हुई है। अतः उक्त प्रक्रिया (विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन सम्बन्धित कार्यवाही) पूर्ण होने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय के MoA को संशोधित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी। विश्वविद्यालय के नये नाम को संशोधित MoA में अंकित कर विश्वविद्यालय के स्पोंसरिंग सोसाईटी को प्रेषित कर दिया जायेगा। विश्वविद्यालय के स्पोंसरिंग सोसाईटी से स्वीकृति के उपरान्त अंतिम स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित किया जायेगा।

इस प्रस्ताव के अन्तर्गत मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र दिनांक 24.07.2020 को सोसाईटी कार्यालय से प्राप्त हो चुका है। अतः विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण होने पर संशोधित नाम से विश्वविद्यालय का संशोधित MoA (UGC Regulation 2019 के अनुसार) शीघ्र ही स्पोंसरिंग सोसाईटी को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

अतः उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 **विश्वविद्यालय में नियुक्ति शिक्षक डॉ0 हरीश चन्द्र एवं डॉ0 नितिन भारद्वाज की पूर्व संस्थाओं में की गयी स्थायी सेवाओं को जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अन्तर्गत वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर नियुक्त डॉ0 हरीश चन्द्र इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पूर्व केन्द्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय–श्रीनगर (उत्तराखण्ड) में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर दिनांक 26.07.2013 से स्थायी रुप से कार्यरत थे तथा जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर नियुक्त डॉ0 नितिन भारद्वाज इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पूर्व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग–चमोली (उत्तराखण्ड) में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर दिनांक 20.09.2014 से स्थायी रुप से कार्यरत थे ।

डॉ0 हरीश चन्द्र द्वारा दिनांक 13.11.2018 को तथा डॉ0 नितिन भारद्वाज द्वारा दिनांक 01.12.2018 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया था। उक्त शिक्षकों द्वारा अपने पूर्व संस्थान में की गयी सेवाओं को इस विश्वविद्यालय की सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना–पत्रों के आलोक में प्रो0 सोमदेव शतांशु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार डॉ0 हरीश चन्द्र एवं डॉ0 नितिन भारद्वाज की पूर्व संस्थाओं में की गयी सेवाऐं यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 के बिन्दु संख्या 10.0 के नियमानुसार है ।

अतः यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 के बिन्दु संख्या 10.0 के आलोक में समिति द्वारा डॉ0 हरीश चन्द्र की केन्द्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय–श्रीनगर (उत्तराखण्ड) में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर दिनांक 26.07.2013 से 12.11.2018 तक तथा डॉ0 नितिन भारद्वाज की दिनांक 20.09.2014 से 30.11.2018 तक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग–चमोली (उत्तराखण्ड) में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर की गयी स्थायी सेवा को इस विश्वविद्यालय में आरम्भ हुई नियमित सेवा में CAS प्रौन्नति एवं सीधी भर्ती हेतु मान्य किये जाने की संस्तुति की है ।

इस प्रस्ताव पर प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि यदि डॉ0 नितिन भारद्वाज की पूर्व सेवाओं (पी.जी. कॉलेज कर्णप्रयाग में की गयी कुल सेवाअवधि) को विश्वविद्यालय की वर्तमान सेवा में जोड़ा गया है तो विश्वविद्यालय द्वारा इनके पूर्व सेवा अवधि के मूलवेतन को ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए था तथा इन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच–डी0 के पांच अग्रिम वेतन वृद्वियां नहीं दी जानी चाहिए। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि इस सन्दर्भ में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। अतः पूर्व सेवाओं के नियमों के अध्ययन के लिये एक समिति का गठन किया जाये और समिति की संस्तुति को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। डॉ0 नितिन भारद्वाज को दी गयी 05 अग्रिम वेतन वृद्वियों के मूल्यांकन का कार्य भी उपर्युक्त समिति ही करेगी। उपर्युक्त के आलोक में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :–

1. **प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव – अध्यक्ष**
2. **मान्य कुलपति जी द्वारा नामित – सदस्य**
3. **श्री देवेन्द्र कुमार, संयुक्त कुलसचिव – संयोजक**

अतः उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ0 आशीष कुमार शर्मा की शासकीय महाविद्यालय, मोहनगढ़, जिला–टिकमगढ़ (म0प्र0) में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के कारण असाधारण अवकाश (अवैतनिक) एवं लियन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ0 आशीष कुमार शर्मा की शासकीय महाविद्यालय, मोहनगढ़, जिला–टिकमगढ़ (म0प्र0) में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के कारण इन्हें दिनांक 18.12.2019 से दो वर्ष का धारणाधिकारी (Lien) सहित अवकाश (अवैतनिक) प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में मान्य कुलपति जी द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया है :–

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इनके इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच हेतु प्रेषित पत्र के अलोक में इस विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट इनको मान्य होगी ।

2. विश्वविद्यालय के आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इनके उक्त अवकाश के सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जायेगा वह इनको मान्य होगा ।

उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में डॉ0 आशीष कुमार शर्मा से शपथ–पत्र भी लिया गया है ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व में EoL पर गये शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बारे में निर्णय लिया जाना अभी विचाराधीन है। मान्य कुलपति जी ने कहा कि भविष्य में 01 अगस्त, 2020 के उपरान्त किसी भी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी को नियमानुसार प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर ही अन्यत्र सरकारी संस्थाओं में सेवा (भारत में तथा भारत के बाहर) पर जाने की स्वीकृति दी जायेगी। यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी EoL पर जाना चाहता है तो उसे सेवा से त्याग–पत्र देकर जाना होगा। सदन में विचार–विमर्श के उपरान्त् निर्णय लिया गया कि डॉ0 आशीष कुमार शर्मा की अवैतनिक अवकाश (EoL) को स्वीकृत नहीं किया जाय तथा इन्हें एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु पत्र जारी कर दिया जाये।

अतः उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 13 **विश्वविद्यालय के वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल से एक सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के MOA के रुल्स के बिन्दु संख्या 16 (03) के अनुसार विश्वविद्यालय के वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा 02 सदस्यों को नामित किया जाना होता है, जिसमें से 01 सदस्य प्रबन्ध मण्डल से ही होता है। जिनका कार्यकाल 03 वर्ष का होता है। पूर्व में प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रुप में नामित सदस्य डॉ0 योगानन्द शास्त्री जी का कार्यकाल दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हो गया है। अतः विश्वविद्यालय के वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों में से 01 सदस्य को नामित किया जाना प्रस्तावित है ।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से श्री विनय आर्य को विश्वविद्यालय के वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रुप में आगामी 03 वर्ष हेतु सदस्य नामित किया गया। श्री विनय आर्य के विश्वविद्यालय के वित्त समिति में सदस्य नामित किये जाने पर समस्त सदस्यों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव संख्या 14 **विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु Induction Program कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नवनियुक्त होने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु 15 दिन का एक Induction Program कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि विभिन्न स्थानों से आने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को गुरुकुल की संस्कृति, शिक्षा पद्धति, इतिहास तथा गुरुकुलीय परम्पराओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। इस हेतु विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसरों अथवा अन्य संस्थानों के वाह्य विषय विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान दिये जायेगें। उक्त प्रोग्राम में विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं।

इस प्रस्ताव पर डॉ0 नवनीत ने कहा कि Induction Program के दौरान एक दिन पूण्य भूमि जाने का कार्यकम भी रखा जाना चाहिए। जिससे की शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को गुरुकुल के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। श्री विनय आर्य ने कहा कि मान्य कुलपति जी द्वारा एक अच्छी पहल की गयी है। उक्त विषय के सम्बन्ध में डॉ0 नैपाल सिंह तोमर

ने कहा कि Induction Program हेतु पाठ्यकम तैयार करने लिये एक समिति का गठन किया जाये। अतः सदन में सर्वसम्मति से Induction Program के पाठ्यकम हेतु निम्न समिति का गठन किया गया :–

1. श्री विनय आर्य
2. प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार
3. एक वाह्य विशेषज्ञ जो मान्य कुलपति जी द्वारा नामित होगा
4. संयोजक

अतः उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 **विश्वविद्यालय में रिक्त कुलसचिव पद हेतु MoA के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार साक्षात्कार हेतु गठित समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा दो सदस्यों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

गत प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 14.12.2019 में निर्णय लिया गया था कि उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों को अवगत कराया जाना है कि विश्वविद्यालय में रिक्त कुलसचिव पद हेतु MoA के बिन्दु 28 के अनुसार साक्षात्कार हेतु गठित समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न प्रकार से दो सदस्यों को नामित किया जाना है ।

1. प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित सदस्य
2. प्रबन्ध मण्डल द्वारा वाह्य विशेषज्ञ के रुप में नामित सदस्य (जिसका सम्बन्ध विश्वविद्यालय से न हो)

अतः उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से एक सदस्य को नामित किया जाना है । बिन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध में वाह्य विशेषज्ञ के रुप में किसी एक को नामित किये जाने हेतु अति–गोपनीयता की दृष्टि से मान्य कुलपति जी को अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कोविड–19 के अन्तर्गत हो रही महामारी के कारण उक्त प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक तक स्थगित रखा जाये ।

प्रस्ताव संख्या 16 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से विश्वविद्यालय परिसर में 12B Status प्रदान करने के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 एक्सपर्ट समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

दिनांक 28 एवं 29 फरवरी 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से विश्वविद्यालय में 12B Status प्रदान करने के सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट समिति द्वारा विजिट किया गया था । समिति द्वारा विश्वविद्यालय के 12B Status प्रदान करने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित कर दी गयी थी। समिति द्वारा प्रेषित की गयी रिपोर्ट की प्रति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 12.03.2020 को पत्रांक F.43-1/2018 (CCP-I/DU) विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया है। यू0जी0सी0 कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विश्वविद्यालय को 12B Status प्रदान करने की संस्तुति की है तथा विश्वविद्यालय को कुछ सुझाव दिये गये हैं। समिति द्वारा सुझाऐ गये बिन्दुओं के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अनुपालन (Compliance) रिपोर्ट दिनांक 17.07.2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित कर दी गयी है। समिति की रिपोर्ट एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की गयी अनुपालन (Compliance) रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

इस प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के बिन्दुओं में Gender biasness का उल्लेख किया गया है। इस पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा की गुरुकुलीय पद्धति के अनुसार Co-education सम्भव नहीं है। सदन में अन्य सदस्यों द्वारा भी अपने–अपने मत रखे गये। अन्त में सदन ने विश्वविद्यालय

द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित अनुपालन (Compliance) रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इसका अंकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 **विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग एवं कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में संचालित MCA कोर्स के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर विज्ञान विभाग एवं कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में संचालित यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृत MCA कोर्स के सम्बन्ध में AICTE Approval Proces Handbook 2020–2021 के आलोक में MCA कोर्स को वर्तमान सत्र में गतिमान रखने हेतु सम्बन्धित विभाग/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा AICTE को आवश्यक प्रपत्र प्रेषित किये गये थे, लेकिन प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों को AICTE द्वारा अस्वीकार कर विश्वविद्यालय को दिनांक 30.06.2020 को LOR प्रेषित किया गया । इस विषय पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु एक समिति का गठन किया है। विषय प्रबन्ध मण्डल के मान्य सदस्यों के सूचनार्थ प्रेषित।

इस प्रस्ताव पर डॉ0 निपुर सिंह ने कहा कि वर्तमान में MCA पाठ्यकम को चलाने हेतु AICTE की स्वीकृति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रयास भी किये गये है। मान्य कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि AICTE द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में LOR जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने पूछा कि किन कमियों के कारण LOR जारी किया गया है। डॉ0 निपुर सिंह ने कहा कि कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून की भूमि के दस्तावेज तथा भवन निर्णाण के नक्शें इत्यादि के कागज पूर्ण नही है। श्री विनय आर्य ने कहा कि इस सम्बन्ध में जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी उसे स्पोन्सरिंग सोसाईटीज द्वारा पूर्ण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा MCA पाठ्यकम की मान्यता हेतु पुनः प्रयास किये जाने चाहिए। इस प्रस्ताव के अन्तर्गत यह भी निर्णय लिया गया कि एम0एस0सी0 कम्प्यूटर विज्ञान/ एम0एस0सी0 ए0आई/ डेटा साईंस/ एम0एल0 पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को भेजा जाए क्योंकि उक्त पाठ्यक्रमों को खोलने हेतु AICTE से मान्यता लेने की आवश्यकता नही है

पूरक प्रस्ताव संख्या 01 **विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

दिनांक 11.05.2020 को विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स की पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया है। उक्त के आलोक में उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या-F.-6-1/2013 (DU) दिनांक 15.03.2016 के साथ संलग्न प्रेषित भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 4/25/2008-P&PW(D) दिनांक 19.11.2014 एवं पुनः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F.-6-1/2010 (DU) दिनांकित 24.05.2016 को प्रेषित पत्र में अंकन किया है कि **That the University may adopt CS (MA) rules for their serving employees only and the retired employees may be paid the Fixed Medical Allowance as per the OM No.4/25/2008-P&PW (D) dated 19.11.2014 of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Pensioners Welfare) at applicable rates as decided by Government of India from time to time.**

विश्वविद्यालय के दिनांक 09.05.2016 को आहूत वित्त–समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या–15 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के उक्त पत्रों के अनुसार ही रु.500/– प्रतिमाह फिक्स मेडिकल एलाउन्स दिनांक 01.04.2016 से देय होगा। अन्य किसी प्रकार की फिक्स मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट/अन्तरंग (Indoor) चिकित्सा सुविधा आपको देय नहीं होगी। सातवें वेतन आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त

पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को मेडिकल एलाउन्स रु.500/– प्रतिमाह के स्थान पर रु.1000/– प्रतिमाह फिक्स भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु लागू स्वामी हैण्ड बुक के अध्याय **"केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना"** के अन्तर्गत अंकन है कि केन्द्रीय कर्मचारी इस सुविधा के लिये पात्र हैं तथा पेंशनर्स को दिनांक 01.02.2017 से प्रभावी संशोधित दर के अनुसार अंशदान करना होगा एवं सेवानिवृत्त के उपरान्त् सी0जी0एच0एस0 (CGHS) सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र होंगे। यह आवश्यक नही है कि पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स भोगियों को उन जगहों में रहना है जो सी0जी0एच0एस0 (CGHS) के अधीन हो।

इस प्रस्ताव पर प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि केन्द्र सरकार के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स हेतु चिकित्सा के सम्बन्ध में CGHS की सुविधा लागू है। अतः उक्त व्यवस्था को विश्वविद्यालय के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स हेतु लागू की जा सकती है। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि चूंकि बजट की स्वीकृति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से ली जाती है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय यू0जी0सी0 से लिया जाना उचित होगा। यदि यू0जी0सी0 द्वारा स्वीकृति दी जाती है तो इसे विश्वविद्यालय में लागू कर दिया जाये। श्री विनय आर्य ने कहा कि उपर्युक्त व्यवस्था केवल केन्द्र सरकार के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स हेतु लागू है तथा CGHS केन्द्र के द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है। अतः विश्वविद्यालय के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स हेतु CGHS व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाये। तदनुसार समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया –

1. **प्रो0 पी0पी0 पाठक – अध्यक्ष**
2. **प्रो0 भारत भूषण – सदस्य**
3. **प्रो0 विनोद कुमार – सदस्य**
4. **श्री गिरीश चन्द्र सुन्दरियाल – सदस्य**
5. **प्रो0 विवेक कुमार – संयोजक**

उक्त गठित समिति भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली उचित प्रक्रिया/औपचारिकताऐं तथा सुझाव एवं संस्तुति से प्रशासन को अवगत करायेगी। तत्पश्चात् प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

पूरक प्रस्ताव संख्या 02 विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त शिक्षकों की कार्य अवधि सत्रान्त तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षक शैक्षणिक सत्र (जौलाई–मई) के मध्य में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिया गया जिसमें अनुरोध किया गया है कि देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों की भांति जो शिक्षक शैक्षणिक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त हो रहे है, उन्हें सत्रान्त तक का लाभ देते हुए उस सत्र के 30 जून को सेवानिवृत्त किया जाये। शिक्षक संघ के द्वारा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, बनारस द्वारा उपर्युक्त के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही को भी संलग्न किया है।

इस प्रस्ताव के अन्तर्गत में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस तरह की व्यवस्था हेतु कोई भी उल्लेख नही किया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव स्वीकार नही किया जा सकता है, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। अतः उक्त प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

पूरक प्रस्ताव संख्या 03 प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 14.12.2019 के प्रस्ताव संख्या 02(ii) में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में जिन शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में EoL लेकर अन्य शिक्षण संस्थानों में किये गये सेवा के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 14.12.2019 के प्रस्ताव संख्या 02(ii) में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत जिन शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में अन्य शिक्षण संस्थानों में किया गया है, उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अन्य संस्थानों में सेवा करने की अनुमति भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नियमानुसार दी गई है अथवा नहीं, इस विषय के सम्बन्ध में पत्रावलियों का अवलोकन किये जाने हेतु प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मान्य कुलपति जी को सौंप दी है, जिस पर अन्तिम निर्णय प्रबन्ध मण्डल के द्वारा लिया जाना है। बैठक में चर्चा हुई तथा प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कुलसचिव एवं प्रो0 निपुर सिंह ने कहा कि सम्बन्धित शिक्षक प्रशासन की अनुमति से ही अन्य शिक्षण संस्थाओं में सेवा करने गये थे। डॉ0 नेपाल सिंह ने कहा कि नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जानी चाहिए। चर्चा उपरान्त निश्चय किया गया कि यदि विश्वविद्यालय में कार्यरत 03 शिक्षक (प्रो0 विनोद कुमार, प्रो0 पंकज मदान एवं डॉ0 महेन्द्र सिंह असवाल) नियम विरुद्ध अवैतनिक अवकाश (EoL) लेकर के निजी शिक्षण संस्थान में विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति से सेवा करने गये थे तो उक्त तीनों शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण संस्थान में की गयी कुल सेवाअवधि के सम्बन्ध में निम्न 02 बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रबन्ध मण्डल के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है–

1. निजी शिक्षण संस्थान में की गयी कुल सेवाअवधि को जोड़कर वार्षिक वेतन वृद्धि न दी जाये, **अथवा**
2. उक्त सेवाअवधि का लीव सैलरी तथा पेंशन/एन0पी0एस0/सी0पी0एफ0 अंशदान (नियोक्ता का अंशदान–Employer Contribution) जमा करा लिया जाये।

प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री नरिन्दर सिंह ने कहा कि यदि बिन्दु संख्या 1 पर कार्यवाही की जाती है तो विश्वविद्यालय पर अनावश्यक रुप से वाद/केस दायर करने की सम्भावना बनती है। अतः श्रेयकर होगा कि बिन्दु 02 के अनुरूप कार्यवाही सम्पन्न की जाये। श्री नरिन्दर सिंह (जो कि गठित समिति के सदस्य भी हैं) ने कहा कि जो 03 शिक्षक अवैतनिक अवकाश (EoL) लेकर निजी संस्थान में सेवा करने गये थे, उन्होंने लिखित रूप में दिया है कि विश्वविद्यालय में EoL की अवधि में इन्होंने पी0एफ0 जमा करा रखा है, यदि पेंशन कंट्रीब्यूशन/एन.पी.एस. आदि की देयता नियमानुसार बनती है तो वे उसे जमा करने के लिये तैयार हैं।

उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गठित समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रशासन को दी गयी है उससे यह इंगित होता है कि उक्त तीनों शिक्षकों को अवैतनिक अवकाश (EoL) तत्कालीन प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया जाना नियमों की चूक है इसलिए तीनों शिक्षकों को नियमानुसार ब्याज सहित लीव सैलरी तथा पेंशन/ एन0पी0एस0/ सी0पी0एफ0 अंशदान (नियोक्ता का अंशदान–Employer Contribution) से सम्बन्धित धनराशि जमा कराने का निर्देश दिया जाये। यदि अन्य कोई भी शिक्षक अवैतनिक अवकाश (EoL) लेकर के भारत में तथा भारत के बाहर निजी संस्थान में सेवा करने गया था तो उसको भी उक्त अंशदान/धनराशि नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराने का निर्देश दिया जाये।

भविष्य में प्रशासन द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को केवल प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर ही अन्य सरकारी/सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में सेवा कार्य हेतु भेजा जाये तथा किसी निजी संस्थान में सेवा हेतु न भेजा जाये।

अन्य पू0 प्रस्ताव सं0 04 कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार के हिन्दी विभाग में कार्यरत प्रो0 सुचित्रा मलिक द्वारा विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग का विभागाध्यक्ष बनाये जाने हेतु दिनांक 24.07.2020 को प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार के हिन्दी विभाग में कार्यरत प्रो0 सुचित्रा मलिक द्वारा दिनांक 24.07.2020 को एक पत्र प्रेषित किया है। उक्त पत्र में इनके द्वारा अंकन किया गया है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के हिन्दी विभाग में सभी वरिष्ठ प्रोफेसर के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त् विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों के हिन्दी विभाग में एक मात्र प्रोफेसर रह जाने के कारण इन्हें हिन्दी विभाग का विभागाध्यक्ष बना दिया जाये।

सदन में चर्चा के दौरान मान्य कुलपति जी ने अवगत कराया कि शिक्षकों/शिक्षिकाओं की नियुक्ति सम्बन्धित परिसरों में विज्ञापित पदों के आलोक में की जाती है तथा एक परिसर से दूसरे परिसर में (अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर) शिक्षकों/शिक्षिकाओं के हस्तान्तरण नीति की व्यवस्था अभी तक नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए सहशिक्षा की व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय में केवल शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के स्थानानन्तरण की व्यवस्था एक परिसर से दूसरे परिसर में कार्य के स्वरूप एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय के अनुसार की जाती रही है।

इस विषय पर डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि शिक्षिकाओं को वरिष्ठता के आधार पर विभागाध्यक्ष बनाये जाने पर विचार किया जाना चाहिये। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने विश्वविद्यालय के स्वीकृत MOA (2012) बिन्दु संख्या 32.1 एवं 32.2 के आलोक में सदन को अवगत कराया कि मुख्य परिसर के विभागों में कार्यरत शिक्षकों (प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर) में से ही वरिष्ठता को दृष्टिगत रखते हुए रोटेशन के आधार पर विभागाध्यक्ष की नियुक्ति मान्य कुलपति जी के द्वारा की जाती है। सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के MOA के आलोक में ही विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की व्यवस्था विश्वविद्यालय हित में उचित है अतः डॉ0 सुचित्रा मलिक द्वारा दी गयी प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया गया।

शांति पाठ के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई ।

कुलसचिव

आपत्ति/टिप्पणी

प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य प्रो0 नवनीत एवं प्रो0 निपुर ने विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27.07.2020 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर अपनी आपत्ति/टिप्पणी निम्न प्रकार से प्रेषित की है। इन टिप्पणियों को प्रबन्ध मण्डल की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सम्मिलित कर लिया गया है। सम्मिलित की गयी टिप्पणियेां को सभी मान्य सदस्यों के अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

प्रो0 नवनीत द्वारा प्रेषित आपत्ति / टिप्पणी :

1. In proposal No. 6 the points written regarding appointment of Dr. Harish Chandra was raised during discussion on proposal No. 11 at the time of controversy regarding addition of past services of Dr. Harish Chandra and Dr. Nitin Bhardwaj.

2. The arrears paid to Dr. Harish Chandra and Dr. Nitin Bhardwaj was discussed but not mentioned and to be referred to the committee.

3. The explanation given by Prof. Rajendra Vidyalankar in this regard has not been quoted properly.

4. In complement proposal 03 (page 12 & 13) regarding EOL sanctioned to three teachers. The Employer contribution is to be deposited but the interest on it is to be considered as per rules which is not taken into consideration during discussion.

प्रो0 निपुर द्वारा प्रेषित आपत्ति / टिप्पणी :

5. प्रबन्ध मण्डल की बैठक की पूरक प्रस्ताव संख्या 3 में तीन शिक्षकों के अवैतनिक अवकाश से संबंधित प्रकरण के विषय में लिखा है कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तीनों शिक्षकों को नियमानुसार ब्याज सहित लीव सैलरी तथा पेंशन/एनपीएस/सीपीएफ अंशदान (नियोक्ता) से सम्बन्धित धनराशि जमा करने का निर्देश दिया जाए। मेरे संज्ञानानुसार ब्याज लगाने के संबंध में सर्वसम्मत निर्णय नहीं हुआ था बल्कि एक ही सदस्य द्वारा इसके पक्ष में अपना मत अभिव्यक्त किया गया था। तद्नुसार प्रस्ताव में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

9/9/20
कुलसचिव